[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 31/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 6th अगस्त , 2019

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 फरवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 156 (अ) दिनांक 26 फरवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैसर्स झिंगयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैसर्स झिंगयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी से भिन्न अन्य कोई भी उत्पादक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(फाइल संख्या 354/30/2019-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार